संख्या-162/2020/2999/22-2-2019-17(1167)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 मई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, जो महावीरपुरा, कस्वा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से 10 लाख रूपये की फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को दो टुकड़ों में सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में गाड़ दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुक़त करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, क्योंकि बंदी की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, का का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी आशू गुप्ता (बन्दी संख्या-16863) पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार कर दी गयी** है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-162/2020/2999(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-162/2020/2999/22-2-2019-17(1167)/2019

दिनांक 29 मई, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, जो महावीरपुरा, कस्वा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से 10 लाख रूपये की फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को दो टुकड़ों में सूटकेस में भरकर गन्ने के खेत में गाड़ दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0-प्रथम, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मुत्युदण्ड की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा मुत्युदण्ड की सजा को लघुक्रत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, क्योंकि बंदी की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, का का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in